Class:- D-II (H) Paper:- III (Indian Society)

Topic:- धर्मनिरपेक्षता / लौकिकीकरण

By:- Dr. Shyamanand Choudhary, Guest Teacher
Marwari College, Darbhanga, 9507941619

online material No:- (42)

धर्मनिरपेक्षता
(Secularization)

मानवीय समाज में धर्म का विशेष स्थान है, विभिन्न सामाजिक मान्यताएँ धार्मिक मान्यताओं द्वारा निर्धारित होती है। परम्परागत भारतीय समाज में अधिकांश क्रिया-कलाप धार्मिक मूल्यों से सम्पन्न होते थे। यथा- विवाह, परिवार, व्यवसाय आदि में धर्म का विशेष हस्तक्षेप था।

आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया जिसमें धर्म के विस्तृत क्षेत्र को सीमित करने की प्रवृत्ति थी। सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया को धर्मनिरपेक्षता (Secularization) कहा गया है।

लौकिकीकरण का अर्थ धर्म का अभाव नहीं है। धर्मनिरपेक्षता एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। यह धार्मिक सहिष्णुता का दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति का भी हो सकता है या राज्य का भी। व्यक्ति के सम्बन्ध में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म को पालन कर सकता है। परन्तु अन्य व्यक्तियों के द्वारा उन्हें धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करने दिया जाय। न ही किसी प्रकार के धर्म का अनादर किया जाय।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य किसी एक धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं करेगा और न ही कोई एक धर्म को प्रोत्साहन देगा। राज्य अपने नागरिकों को धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखेगा। राज्य के दृष्टि में समाज के सभी धर्मों का मान-समान है। राज्य न तो धर्म विहिन है न ही धर्म विरोधी।

Ajanta Oxford

Scanned with CamScanner

Webster International Dictionary के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है।

धर्मनिरपेक्षता सामाजिक आचार संहिता की एक उस व्यवस्था से सम्बन्धित है जो इस सिद्धान्त पर आधारित है कि नैतिक मापदण्डों या आचरण का निर्धारण वर्तमान जीवन और सामाजिक कल्याण के सन्दर्भ में ही किया जाना चाहिए।"

अर्थात् धर्मनिरपेक्षता में सामाजिक कल्याण की बात अधिक होती है न की धर्म की।

धर्म तथा नीतिशास्त्र के विश्वकोश के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है- "एक ऐसी वैचारिकी जो जीवन व आचरण के एक ऐसे सिद्धान्त को प्रतिपादित करती है जो धर्म द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरुद्ध है।"

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति या राज्य के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण से विचार नही करता बल्कि सांसारिक दृष्टिकोण से विचार करता है। इसमें मानवमात्र के कल्याण को प्रमुखता दिया जाता है।

Dr. M.N. Srinivas ने Secularisation की परिभाषा देते हुये बताया है कि "लौकिकीकरण शब्द में यह बात निहीत है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नही माना जाता।"

अर्थात् श्रीनिवास के अनुसार लौकिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत उस क्षेत्र में धार्मिकता के तत्वों का लोप हो जाता है। लौकिकीकरण के परिणामस्वरूप समाजिक क्षेत्रों में तार्किक, वैज्ञानिक एवं मानवतावादी परिवाक्षित ढंग से विचार किया जाने लगा। उदाहरण के तौर पर खान-पान के क्षेत्र में कुछ शताब्दी पूर्व धार्मिक नियम ही प्रधान थे। विभिन्न पर्वों एवं अवसरों पर क्या खाना चाहिए यह भी धर्म के द्वारा निर्धारित होता था। परन्तु आज खान-पान की राय के लिए पुरोहित के स्थान डॉक्टर अधिक महत्वपूर्ण है। यह परिवर्तन लौकिकीकरण का एक उदाहरण है।

Scanned with CamScanner

Character of Secular Society

Dr. D. E. Smith ने Secular Society के संबन्ध में लिखा है कि :-
"धर्मनिरपेक्षता समाज व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह व्यक्ति के धर्म पर विचार किये बिना उसके साथ समाज के सामान्य सदस्य के रूप में व्यवहार करता है, संवैधानिक दृष्टि से इस प्रकार का समाज किसी विशेष धर्म से सम्बन्धित नहीं होता है, यह न तो किसी धर्म को हस्तक्षेप करता है। और नही किसी धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।"

इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता समाज की निम्नांकित विशेषताएँ हैं :-

1. धर्मनिरपेक्ष समाज में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता होती है।
2. धर्मनिरपेक्ष समाज में बिना किसी भेदभाव सभी धर्मों के अनुयायियों से समानता का व्यवहार किया जाता है।
3. धर्मनिरपेक्ष समाज किसी धर्म विशेष से सम्बन्धित नही होता परन्तु समाज में किसी भी धर्म का विरोध नही किया जाता है।
4. धर्मनिरपेक्ष समाज में व्यक्ति को समाज या राज्य द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करता।
5. धर्मनिरपेक्ष समाज में विवेक तथा तर्क की प्रधानता होती है।
6. धर्म निरपेक्ष समाजों में जनकल्याण एवं मानवतावादी कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाता है।
7. राजनीतिक दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष समाज प्रजातंत्र का पोषक होता है।
8. धर्मनिरपेक्ष समाज में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था नही होती है, बल्कि शिक्षा भी धर्म निरपेक्ष होती है।

Promoting factor for secularization

1. Rule of Law Equality :- लौकिकीकरण के लिए Rule of Law Equality की भूमिका प्रमुख होती है। Rule of Law

(4)

Equality का अर्थ होता है, सभी व्यक्तियों के लिए सरकार के द्वारा समान कानूनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ मौलिक अधिकार राज्य की सभी व्यक्तियों के लिए समान है।

2. Education :- लौकिकीकरण के लिए दूसरा महत्वपूर्ण सहायक तत्व शिक्षा है। एक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। सरकार द्वारा उसे हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

3. Democracy :- लौकिकीकरण के लिए तीसरा प्रमुख सहायक तत्व प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। कोई भी व्यक्ति इच्छानुसार किसी भी दल को अपना वोट दे सकता है एवं मताधिकार का प्रयोग कर सरकार चुन सकता है।

4. Religious :- वर्तमान भारत सैद्धान्तिक रूप से एक लौकिकी राज्य है। भारतीय संस्कृति श्रुति प्राचीन काल से ही लौकिक संस्कृति रही है। भारतीय समाज धर्मनिरपेक्ष समाज है। यहाँ सभी धर्मों का समान महत्व है।

Dr. S. N. Choudhary
Guest Teacher
Marwari College, Darbhanga

Scanned with CamScanner